न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्र0सं0 – 03 / 2022
अनवान : –

1. यशवन्तसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति जाट निवारी भिरानी त0 भादरा – प्रार्थी

बनाम्

1. मरियादेवी पत्नी रणजीत जाति जाट निवारी भिरानी त0 भादरा – डिलिट।
2. मानसिंह पुत्र रणजीत जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. सुबेसिंह पुत्र रणजीत जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. वीरसिंह पुत्र पुत्र रणजीत जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री रणजीत जाट निवासी भिरानी त0 भादरा। –डिलिट।
6. बिमला पत्नी विजयसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
7. सन्दीप पुत्र विजयसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
8. सदेश पुत्री विजयसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
9. रमेश कुमार पुत्र तिलोकचन्द जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
10. मैना पुत्री रूपसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
11. स्वराज पुत्र रूपसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
12. मीरा पत्नी रूपसिंह जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
13. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
14. एसबीआई भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भिरानी।
15. राजस्थान सरकार जरिये त0 भादरा। – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251</u>
<u>ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए</u>

उपस्थिति :—श्री सुनिल बैनीवाल प्रार्थी
श्री विजेन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

<u>निर्णय</u> दिनांक: 15-6-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 376 / 68 की कुल 4.175है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की मु0न0 168 के किला न0 21 मु0न0 168 के किला न0 20, 11, 10 / 2 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ, मु0न0 168 के किला न0 10 / 1 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व की तरफ, तथा मु0न0 168 के किला न0 2, 9 / 1 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर, मु0न0 143 के किला न0 22 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व एक–एक बिस्वा रास्ता का उपयोग सदामत से करता आ रहा है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 2 ता 4, 6 ता 12 ने प्रार्थना पत्र की सभी बद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1–5 ने दस्तबदारी करवाने पर उनके नाम प्रार्थना पत्र से डिलिट किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थीगण की मु0न0 168 के किला न0 21 मु0न0 168 के किला न0 20, 11, 10/2 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ, मु0न0 168 के किला न0 10/1 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व की तरफ, तथा मु0न0 168 के किला न0 2, 9/1 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर, मु0न0 143 के किला न0 22 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व एक–एक बिस्वा रास्ता का उपयोग सदामत से करता आ रहा है अतः उक्त रास्ता को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थीगण की मु0न0 168 के किला न0 21 मु0न0 168 के किला न0 20, 11, 10/2 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ, मु0न0 168 के किला न0 10/1 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व की तरफ, तथा मु0न0 168 के किला न0 2, 9/1 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर, मु0न0 143 के किला न0 22 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व एक–एक बिस्वा रास्ता का उपयोग सदामत से करता आ रहा है अतः उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिससे के प्रतिफल में अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार का लेन–देन नहीं करने को स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा भिरानी के मु0न0 168 के किला न0 21 मु0न0 168 के किला न0 20, 11, 10/2 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ, मु0न0 168 के किला न0 10/1 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व की तरफ, तथा मु0न0 168 के किला न0 2, 9/1 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर, मु0न0 143 के किला न0 22 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्व प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
RAS
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़